न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : डा0 मधु खरे
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 2367–दो/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 24–6–2014 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी पुष्पराजगढ़ जिला अनूपपुर प्रकरण कमांक 10/अपील/2012–13.

महंत अनुसुईयादास गुरू श्री श्री 108 हरकेवल दास
उपाध्यक्ष श्री उदासीन व रमार्थ आश्रम न्यास अमरकंटक
जिला अनूपपुर म0प्र0
निवासी उदासीन परमार्थ कपिलधारा रोड बांधा चौराहा
अमरकंटक जिला अनूपपुर म0प्र0

–––––आवेदक

विरूद्ध

1. बाबा अंजनानन्द गुरू स्व0 श्री निर्मलदास जी
   उदासीन निवासी ग्राम व थाना राजपुर जिला सरगुजा
   छत्तीसगढ़ नया निर्मित जिला बल रामपुर संभाग
   सरगूजा छत्तीसगढ़
2. म0प्र0 शासन

–––––अनावेदकगण

– – – – – –

श्री अवधेश सिंह, अभिभाषक, आवेदक
श्री सुशील तिवारी, अभिभाषक, अनावेदक कं 1

– – – – – –

:: आदेश पारित ::

(दिनांक 6 नवम्बर 2015)

– – – – –

आवेदक द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी पुष्पराजगढ़ जिला अनूपपुर के आदेश दिनांक 24–6–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 बाबा अंजनानन्द गुरू स्व0 श्री निर्मलदास जी उदासीन ने नायब तहसीलदार वृत भेजरी के प्रकरण कमांक 08/अ–6/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 14–3–2012 के विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी पुष्पराजगढ़ के समक्ष प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने तहसील न्यायालय का अभिलेख एवं उभय पक्ष के तर्क सुनने के पश्चात आदेश दिनांक 24–6–2014 में अनावेदक अंजनानन्द गुरू की ओर से प्रस्तुत धारा 5 म्याद अधिनियम का आवेदन सदभाविक होने से ग्राह्य किया तथा प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

आवेदक अभिभाषक ने दिनांक 19–8–15 को व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 1 नियम 10(2) के अन्तर्गत आवेदन इस आशय का पेश किया कि अनावेदक अंजनानन्द की मृत्यु हो चुकी है। चूंकि सम्पत्ति ट्रस्ट की है निजी सम्पत्ति नहीं है, अतः उनके पुत्रों/पत्नी को इस प्रकरण में वारिस मान्य नहीं किया जा सकता। बाबा अंजनान्द का नाम उन्मान से कम किया जाए। अनावेदक अंजनान्द के पुत्र अनंत प्रसाद शुक्ला, श्रवण कुमार शुक्ला एवं पत्नी प्रेमवती शुक्ला द्वारा अंजनानंद के वारिस होने के नाते स्वयं को अनावेदक के रूप में पक्षकार बनाने हेतु आवेदक को निर्देशित करने का आवेदन दिनांक 5–5–15 को प्रस्तुत किया। दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों की प्रति परस्पर प्रदाय कराई गई। दोनों अभिभाषक के आवेदनपत्र पर तर्क सुने गये।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा यह तर्क किया कि अनावेदक अंजनानंद द्वारा आराजी नंबर 94/1ख, 105/3ख स्थित ग्राम अमरंटक को अपने नाम नामांतरण कराये जाने का दावा इस आधार पर प्रस्तुत किया गया था, कि उक्त भूमि स्व0 निर्मलदास गुरू प्रहलाददास जी महाराज के स्वामित्व

की थी, जो उसके गुरू थे। गुरू की मृत्यु हो जाने से उसका हक बनता है आवेदक की ओर से इस आशय की आपत्ति की गई थी, कि उक्त भूमियां संत श्री 108 हरकेवलदास जी महाराज गुरू श्री श्री 108 हरिकृष्णदास जी एवं स्वामी निर्मलदास जी उदासीन गुरू श्री महंत पहलदास जी के स्वामित्व की थी और उक्त सम्पत्ति उदासीन परमार्थ आश्रम न्यास की हो गयी थी क्योंकि न्यास को उक्त सम्पत्ति समर्पित कर दी गयी थी, न्यास का गठन दिनांक 16—8—2007 को किया गया था। बाबा अंजनानंद न तो निर्मलदास गुरू प्रहलाददास के शिष्य थे और नही वे उदासीन परमार्थ आश्रम न्यास के सदस्य थे और नही पंचायती अखाड़ा उदासीन निर्वाण रजिस्टर्ड अखाड़ा के सदस्य थे। तहसीलदार के द्वारा भी उन्हें महंत शिष्य साधू होना मान्य नहीं किया था। यह भी तर्क किया कि बाबा अंजनानंद चूंकि निजी हैसीयत से न तो सम्पत्ति के लिये लड़ाई लड़ रहे थे और न ही वे अपनी निजी सम्पत्ति होना मान्य ही करते थे। ऐसी स्थिति में उनके वारिसानों को किसी भी तरह से पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है क्योंकि ट्रस्ट की सम्पत्ति में उन्हें कोई हक व अधिकार अर्जित होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। ऐसी हालात में उनके वारिसों को पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है। पक्षकार कोई ट्रस्टी ही हो सकता है। ऐसी स्थिति स्थिति में अनंतप्रसाद शुक्ला बगैरह की ओर से प्रस्तुत आवेदन खारिज किये जाने योग्य है। तर्क में यह भी कहा कि विवादित सम्पत्ति उदासीन परमार्थ आश्रम ट्रस्ट की है तथा ट्रस्टी की ओर से निगरानी याचिका पहले से ही पेश है। ऐसी स्थिति में बाबा अंजनानंद का नाम उन्मान से काटा आवश्यक है। इसके अतिरिक्त अंत में तर्क किया जब अनावेदक को कोई अधिकार ही ट्रस्ट की ओर से प्राप्त नहीं थे तब अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदक की ओर से प्रस्तुत अपील को समयावधि में मानकर ग्राह्य करने में त्रुटि की है। अतः निगरानी स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाये।

4/ अनावेदक कमांक 1 अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क दिया कि अनावेदक बाबा अंजनानंद महंत अनंत प्रसाद शुक्ला तथा श्रवण कुमार शुक्ला के शिष्य व पुत्र दोनों हैं इस कारण वे इस प्रकरण में आवश्यक पक्षकार हैं। यह भी तर्क किया कि बाबा अंजनानंद की मृत्यु दिनांक 18—1—15 को हो चुकी है तथा उसे आवेदक ने प्रथम बार दिनांक 19—8—15 को यह आवेदन पत्र दिया है जो निश्चित तौर पर सात माह बाद प्रस्तुत किया जबकि किसी पक्षकार की मृत्यु के बाद उसके संबंध में वारिसान बनाने या अन्य कार्यवाही की अवधि 90 दिन अर्थात दिनांक 18—4—15 तक अवधि समाप्त हो चुकी है। निगरानीकर्ता ने निर्धारित अवधि के अंदर आवेदन पत्र नहीं दिया इस कारण उनकी यह निगरानी उपसमित (अवेट) हो चुकी है। तर्क में यह भी कहा कि बाबा अंजनानन्द गुरू स्व0 श्री निर्मलदास जी उदासीन द्वारा जानकारी दिनांक से विधिवत अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी जिसपर अनुविभागीय अधिकारी ने अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख देखकर एवं दोनों पक्षों को सुनकर अपील को समयावधि में मानकर ग्राह्य किया है। अनुविभागीय अधिकारी का आदेश उचित है, अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक ने यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी पुष्पराजगढ़ के आदेश दिनांक 24—6—2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश में अनावेदक कमांक 1 बाबा अंजनानन्द गुरू की ओर से प्रस्तुत अपील पर दोनों पक्षों को सुनकर एवं अभिलेख देखने के उपरांत समय—सीमा में इस आधार पर माना है कि अनावेदक कं. 1 का इलाज चल रहा था तथा इलाज के लिए बाहर जाने के कारण एवं उनके अभिभाषक द्वारा आदेश की जानकारी नहीं देने से जब वे लोटकर आये और आदेश की जानकारी दिनांक से अपील को समय—सीमा में पेश की। अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण में उपचार के पर्चे एवं मेडीकल बिल के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक

बाबा अंजनानन्द का इलाज काफी लम्बे समय तक चला इसमें कुछ दस्तावेज विलम्ब की अवधि के बाहर के भी हैं। इससे यह नहीं माना जा सकता कि अनावेदक अंजनानन्द अस्वस्थ नहीं थे। अतः अनुविभागीय अधिकारी ने अपील को समय—सीमा में माना है, जो न्यायिक दृष्टि से त्रुटिपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। जहां तक आवेदक अभिभाषक द्वारा अनावेदक अंजनानंद का नाम प्रकरण से कम करने का प्रश्न है प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में लंबित है जहां गुण—दोषों पर निराकरण होना है अनावेदक का नाम कम करने अथवा उसके स्थान पर अन्य अनावेदकों को पक्षकार के रूप में संयोजित करने के सम्बन्ध में अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है। अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 24—6—14 स्थिर रखा जाता है तथा अनुविभागीय अधिकारी को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वे बाबा अंजनानन्द गुरू के वारिसों को अनावेदकों के रूप में रिकार्ड पर लेने संबंधी आवेदन यदि प्रस्तुत किए जाते हैं तो दोनों पक्षों को सुनने एवं उचित जांच उपरांत निर्णय लेने के उपरांत प्रकरण का अंतिम निराकरण करें।

(डा0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर